निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय
सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर
ब्लॉक-डी, आई.पी. भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002
दूरभाष सं. 011-2337 8923, 2337 8999, 2337 0663

कस्टम ब्रोकर परीक्षा के लिए नोटिस

कस्टम ब्रोकर लाइसेंसिंग विनियम, 2013 के अधीन कस्टम ब्रोकर के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस जारी करने हेतु लिखित परीक्षा में उपस्थित होने के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। विनियमों की प्रति www.cbec.gov.in एवं http://dgicce.nic.in पर उपलब्ध है।

1. आवेदन प्राप्त करने की तारीख: **03.10.2016 से 18.11.2016 तक**
2. लिखित परीक्षा की तारीख व समय: **20.01.2017 (10.00 बजे पूर्वाहन से 1.00 बजे अपराहन तक)**
3. आवेदक द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें: सीबीएलआर, 2013 के विनियम 5 एवं 6 के अनुसार
4. लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम: सीबीएलआर, 2013 के विनियम 6(7) के अनुसार
5. आवेदन के लिए प्रारूप: फॉर्म-क (अधिसूचना में उपलब्ध) के साथ दो पासपोर्ट आकार की फोटो जो कि एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित (सामने की ओर) होनी चाहिए एवं यथा संशोधित सीबीएलआर, 2013 के विनियम 5 के अनुसार नागरिकता, शैक्षणिक योग्यताओं तथा वित्तीय अपेक्षाओं संबंधी स्व:अनुप्रमाणित दस्तावेज।
6. आवेदन कहां जमा करना है: सीमा शुल्क/ सीमा शुल्क (निवारक)/ सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के प्रधान आयुक्त/आयुक्त जिनके क्षेत्राधिकार में वह क्षेत्र आता हो जहां आवेदक अपना व्यवसाय करने की मंशा रखता हो। [सीबीएलआर, 2013 का विनियम 4]।
7. अपूर्ण आवेदन दिनांक **09.12.2016** तक सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। आवंटित रोल नंबर एवं परीक्षा स्थल/तारीख तथा समय के बारे में सूचना संबंधित आयुक्तालय द्वारा दी जाएगी। लिखित परीक्षा की तारीख परिवर्तित नहीं की जाएगी चाहे उस दिन छुट्टी ही घोषित क्यों न हो। इस संबंध में प्रधान आयुक्त/आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।
8. लिखित परीक्षा सफलतापूर्वक उतीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को मौखिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।
9. आवेदक के पास हिंदी अथवा अंग्रेजी में उत्तर देने का विकल्प है।
10. यदि पाया गया कि आवेदक द्वारा की गई घोषणा गलत है, तो आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा एवं/अथवा लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
11. किसी भी पूछताछ के लिए नजदीकी आयुक्तालय से संपर्क करें अथवा सीबीएलआर, 2013 का संदर्भ लें अथवा इस महानिदेशालय से संपर्क करें अथवा वेबसाइट www.cbec.gov.in एवं http://dgicce.nic.in पर जाएं।

(सी.एम. चान्दोलिया)
प्रधान अपर महानिदेशक
011-2337 8250

फा.सं. 1191/01/2016-कॉन्फिडेंशियल